

किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अधिनियम, 2020

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें सुनिश्चित कीमतों और बेहतर कृषि सेवाओं के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य किसानों और खरीदारों के बीच अनुबंध खेती समझौतों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, जिससे किसानों को उनकी कृषि उपज की बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया जा सके।

कानूनी ढांचा:

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, भारत में अनुबंध खेती व्यवस्था के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह किसानों को कृषि उपज के उत्पादन और बिक्री के लिए कृषि-व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों और बड़े खुदरा विक्रेताओं सहित खरीदारों के साथ समझौते में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है।

प्रमुख प्रावधान:

अनुबंध खेती समझौते:

यह अधिनियम किसानों और खरीदारों के बीच अनुबंध खेती समझौतों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह किसानों को सहमत कीमतों और शर्तों पर खरीदारों को निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित रूप से प्रतिबद्ध होने की अनुमति देता है।

मूल्य आश्वासन:

अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक मूल्य आश्वासन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य मिले। खरीदार किसानों से सहमत मूल्य पर कृषि उपज की सहमत मात्रा खरीदने के लिए बाध्य हैं, जिससे किसानों को आय सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण मिलता है।

कृषि सेवाएँ:

यह अधिनियम खरीदारों द्वारा किसानों को कृषि सेवाओं के प्रावधान को प्रोत्साहित करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, इनपुट, ऋण और फसल के बाद के बुनियादी ढांचे शामिल हैं। खरीदारों को कृषि सेवाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उत्पादकता बढ़ाती है, लागत कम करती है और कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे किसानों और खरीदारों दोनों को लाभ होता है।

विवाद समाधान तंत्र:

यह अधिनियम अनुबंध खेती समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है। यह विवादों को समय पर और कुशल तरीके से हल करने के लिए सुलह और मध्यस्थता प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों के हितों की रक्षा की जाती है और विवादों का शीघ्र समाधान किया जाता है।

किसानों पर प्रभाव:

मूल्य पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 में किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता है।

बाज़ार तक पहुंच, और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों और सेवाओं तक पहुंच। यह किसानों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने, बाजार जोखिमों को कम करने और खरीदारों के मुकाबले उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

जबकि अधिनियम का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और अनुबंध खेती व्यवस्था को बढ़ावा देना है, इसने खरीदारों द्वारा किसानों के संभावित शोषण, अनुबंध वार्ता में असंतुलन और छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों और खरीदारों के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति, अनुबंधों की प्रवर्तनीयता और मूल्य अस्थिरता और बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति किसानों की संवेदनशीलता के बारे में चिंताएं हैं।

निष्कर्ष:

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। अनुबंध खेती समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करके, यह अधिनियम किसानों को सुनिश्चित मूल्य, बेहतर बाजार पहुंच और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों और सेवाओं तक पहुंच के अवसर प्रदान करता है।

हालाँकि, चिंताओं को दूर करने, किसानों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी, समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है कि अनुबंध खेती का लाभ इसमें शामिल सभी हितधारकों को मिले।